संख्या–/पांच–5–2020,

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त अपर निदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0।

3. समस्तमुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
समस्त जिला महिला/
पुरूष/सयुंक्त चिकित्सालय,समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग– दिनांक : मार्च, 2020

विषयःप्रदेश के जिला चिकित्सालयों में कोविड समर्पित स्तर–1 चिकित्सा इकाईयां एवं आइसोलेशन वार्डस् बनाने हेतु विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश (Operation Guidelines)।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय से संबंधित चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–682/पांच–5–2020, दिनांक 23 मार्च, 2020 में निहित आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के सभी 75 जनपदों द्वारा कोविड समर्पित स्तर–1 (एल1) चिकित्सालयों के रूप में परिवर्तित की जाने वाली विभिन्न चिकित्सा इकाईयों को चिन्हित किया गया है, जिसकी सूची अनुलग्नक–1 पर संलग्न है। मुख्य चिकित्साधिारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि जनपद मुख्यालय से इन समर्पित एल1 चिकित्सा इकाईयों तक सुगमता (easily accessible) से पहुंचा जा सके। यदि किसी समर्पित चिकित्सा इकाई तक पहुंचना सुगम न हो तो जिला मुख्यालय से समीप की सी0एच0सी0 को चिन्हित कर तत्काल सूचित किया जाए। जनपद में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी को कोविड समर्पित एल1 चिकित्सा इकाईयों के लिए नोडल नामित किया जाएं।

2. **ढांचागत व्यवस्था की स्थापना :**

सभीमुख्य चिकित्साधिकारियों को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे :–

(1) कोविड समर्पित चिकित्सालयों में वर्तमान में भर्ती अन्य बीमारियों से ग्रसित रोगियों को दिनांक 28 मार्च, 2020 तक अन्य चिकित्सा इकाईयों में सुरक्षित रूप से स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें।

(2) कोविड–19 के पुष्ट संक्रमित रोगियों के अलावा अन्य रोगियों को अब से कोविड समर्पित एल1 चिकित्सालयों में भर्ती न किया जाए। यह सूचना/जानकारी ए0एन0एम0, ऐम्बुलेन्स सेवा–प्रदाता तथा आशाओं के माध्यम से प्रसारित की जाये कि कोविड समर्पित चिकित्सालय से आच्छादित क्षेत्र के अन्य बीमारियों से ग्रसित रोगियों को कोविड समर्पित चिकित्सालयों से अन्यत्र अन्य समीपवर्ती चिकित्सा इकाईयों में ले जाया जाए।

Scanned with CamScanner

(3) कोविड समर्पित एल1 चिकित्सालयों को दिनांक 28.03.2020 को विसंक्रमित किया जाए एवं तदोपरान्त विसंक्रमण–प्रोटोकॉल **(अनुलग्नक–2)**के अनुसार नियमित रूप से इन्हें विसंक्रमित (disinfected) किया जाता रहे।

3. कोविड समर्पित एल1 चिकित्सा इकाईयों के लिए मानव संसाधनों के मानदण्डः

(1) उक्त कोविड समर्पित एल1 चिकित्सा इकाईयों में रोगियों के उपचार/इलाज हेतु दो दलों (teams) (दल–1 एवं दल–2) का गठन किया जायेगा। दल–1 द्वारा 15 दिवसों तक रोगियों का उपचार किया जायेगा और तत्पश्चात इन चिकित्सा कर्मियों को निष्क्रिय संगरोध (passive quarantine) पर रखा जायेगा जिसके दौरान दल–2 द्वारा उसी कोविड समर्पित एल1 चिकित्सा इकाई में इनका उपचार/इलाज किया जायेगा। चिकित्सा कार्य की अवधि में चिकित्सा कर्मियों के दल को सक्रिय संगरोध (active quarantine) पर रखा जाएगा। यह चक्र प्रत्येक 15 दिवसों पर चलता रहेगा। इन दलों की सरंचना निम्नवत् होगी :–

प्रत्येक दल हेतु कोविड समर्पित एल1 चिकित्सा इकाईयों के लिए मानव संसाधनों की संरचनाः

श्रेणी	**संख्या**
चिकित्सक	6
नर्सें	6
फार्मासिस्ट	2
वार्ड ब्वॉय	3
स्वीपर	6
लैब टेक्नीशियन	2
एक दल हेतु कुल संख्या	**25**

(2) इस प्रकार से,उक्त सरंचना के आधार पर कोविड समर्पित एल1 चिकित्सा इकाईयों में दोनों दलों हेतु आवश्यक मानव संसाधनों की कुल संख्या 50 होगी।

(3) मुख्य चिकित्साधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे **अनुलग्नक–3** के अनुसार इन कोविड समर्पित एल1 चिकित्सा इकाईयों में तैनात किये जाने वाले 50 स्टाफ को नाम एवं उनके इएचआरएमएस कोड से चिन्हित करें।

(4) मुख्य चिकित्साधिकारियों को यह सुनिश्चित करने हेतु भी निदेशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित एवं समर्पित हों। यह ज़रूरी नहीं है कि ये कार्मिक उसी चिकित्सा इकाई में पूर्व से तैनात हों, बल्कि निपुणता, दक्षता व परिपक्वता/अनुभव के मानदण्ड के आधार पर इनका चयन जनपद के किसी भी चिकित्सालय में तैनात कार्मिकों में से किया जा सकता है। किसी भी अन्य चिकित्सा इकाई में तैनात कार्मिकों की अनुभव व उपयुक्तता के आधार पर आवश्यकता के दृष्टिगत कोविड समर्पित एल1 चिकित्सा इकाई में उनकी अस्थायी तैनाती जिलाधिकारी के अनुमोदन से किया जा सकेगा। उक्तानुसार गठित प्रत्येक दल का वरिष्ठतम चिकित्सक उक्त कोविड समर्पित एल1 चिकित्सा इकाई में अपनी तैनाती के दौरान प्रभारी के रूप में कार्य करेगा।

Scanned with CamScanner

Duties and responsibilities of the Team Leader

4. टीम लीडर के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व :

(1) कोविडसमर्पित एल1 चिकित्सा इकाईयों के यथोचित संचालन हेतु समय–समय पर निर्गत उपचार संबंधी प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(2) विसंक्रमण प्रोटोकाल (Disinfection protocols) का समुचित अनुसरण सुनिश्चित करना।

(3) **अनुलग्नक–4** के अनुसार औषधियों, उपभोग्य सामग्री, आक्सीजन एवं उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित करना।

(4) दलों द्वाराअनुसरित किए जा रहे सुरक्षा उपायों एवं उनकी मानसिक दृढ़ता का स्तर बनाये रखना।

(5) केवलगंभीर रूप से संक्रमित/ग्रसित रोगियों को ही ए0एल0एस0 (ALS) एम्बुलेन्स का उपयोग करके कोविड समर्पित एल2/एल3 चिकित्सा इकाईयों को सन्दर्भित करना, जिससे एल1 पर उपचार किये जा सकने वाले रोगियों से उच्च स्तरीय इकाईयां ओवरलोड न हों।

(6) **अनुलग्नक–5** के अनुसार दिन में केवल एक बार मुख्य चिकित्साधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित करना।

5. सक्रिय एवं निष्क्रिय संगरोध टीम की तैनाती

(1) निष्क्रिय संगरोध सुविधा (Passive Quarantine facility)

जब एल–1 फेसिलिटी पर कोरोना वायरस संक्रमित रोगी के उपचार हेतु दल–1 कार्यरत रहेगा, तो दल–2 निष्क्रिय संगरोध फैसिलिटी में होगा। जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि दल–2 – निष्क्रिय संगरोध फैसिलिटी के पूरे दल हेतु 15 दिनों की अवधि तक के लिए ठहरने के लिए अलग शौचालय की सुविधा सहित उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस अवधि के दौरान, दल–2 के समस्त सदस्य इन चिन्हित निष्क्रिय संगरोध सुविधाओं में ही रहेंगे। उक्त अवधि के दौरान निष्क्रिय संगरोध फैसिलिटी में आवश्यक भोजन, पानी एवं सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। 15वें दिन सेवा देने के पश्चात् दल–2 को निष्क्रिय संगरोध सुविधा से सक्रिय संगरोध फैसिलिटी में जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(2) सक्रिय संगरोध (Active Quarantine)

कोविड समर्पित एल–1 चिकित्सा इकाईयों पर तैनात टीम के वे सदस्य/स्टॉफ जिन्होंने अपनी पाली (Shift) पूर्ण कर ली हो,यह प्रयास किया जाय उनके ठहरने की व्यवस्था एल–1 फैसिलिटी के आवासीय परिसर में ही मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाय।एल–1 परिसर में स्थित आवासों की आवश्यकतानुसार मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा मरम्मत भी कराया जा सकता है। चिन्हित सक्रिय संगरोध सुविधा में आवश्यक भोजन, पानी एवं सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। आवश्यकतानुसार टीम के सदस्यों हेतु सक्रिय संगरोध से एल–1 फेसिलिटी के आने व जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

ठहरने, मरम्मत इत्यादि की व्यवस्था के लिए धनराशि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

Scanned with CamScanner

जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सक्रिय एवं निष्क्रिय संगरोध हेतु अपने अधीन कार्यरत अधिकारी को जिले स्तर पर प्रभारी अधिकारी के रूप में नामित किया जाए। जनपदों द्वारा चिन्हित किये गये सक्रिय एवं निष्क्रिय संगरोध फैसिलिटी की सूची **अनुलग्नक–6** पर उपलब्धप्रारूप पर करायी जायेगी। उक्त सूची के अनुसार एल–1 फैसिलिटी के सक्रिय एवं निष्क्रिय संगरोध सुविधा के फोटोग्राफ दिनांक 29.03.2020 तक ईमेल के माध्यम से covidhospitals@gmail.comपर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. **कोविड समर्पित एल1 चिकित्सा इकाईयों हेतु आवश्यक उपयोग्य सामग्री, औषधियाँ एवं उपकरण:**

(1) उक्त चिकित्सालयों में आवश्यक उपभोग्य सामग्री एवं औषधियों (सात दिवसों के लिए) एवं उपकरणों की सूची **अनुलग्नक–4** पर उपलब्ध है। इन मदों/सामग्रियों को दो भागों में विभाजित किया गया है – प्रथम, वे जिन्हें मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा जनपद स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा और दूसरी वे जिन्हें राज्य मुख्यालय/यू0पी0एम0एस0सी0 द्वारा समय–समय पर मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजा जायेगा। राज्य स्तर से इन सामग्रियों की पर्याप्त संख्या में आपूर्ति को जनपद में स्थिति यू0पी0एम0एस0सी0 औषधि भण्डार गृहों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

(2) मुख्य चिकित्साधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे उक्त चिकित्सा इकाईयों में इन सामग्री/औषधियों की दिनांक 28.3.2020 तक उपलब्धता सुनिश्चित करें। यदि कोई सामग्री/औषधियां तत्काल उपलब्ध नही हैं तो आवश्यकतानुसार इण्डेंट राज्य/यू0पी0एम0एस0सी0 को प्रेषित किया जा सकता है। जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए आवश्यक मदों/सामग्रियों की सुचारू रूप से पुनःपूर्ति सुनिश्चित करने के यथोचित प्रबन्ध/व्यवस्था की जाये।

7. **स्टाफ का प्रशिक्षण :**

(1) मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा अपने–अपने जनपदों में चिन्हित मास्टर ट्रेनर (प्रति जनपद 02 चिकित्सक एवं 02 नर्सें) को कोविड महामारी के दौरान अपनाये जाने वाले प्रोटोकाल पर राज्य मुख्यालय से वीडियों–कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिनांक25.03.2020 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, जिनकी सूची **अनुलग्नक–7** पर संलग्न है। इन मास्टर ट्रेनर्स का द्वित्तीय प्रशिक्षण सत्र दिनांक 27.3.2020 को अपरान्ह् 3.00 बजे वीडियों कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से आयोजित किया गया।

(2) उक्त दल–1 एवं दल–2 हेतु चिन्हित सभी 50 स्टाफ सदस्यों को मास्टर ट्रेनरों द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2020 तक कम से कम दो सत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। **उचित प्रशिक्षण के बिना किसी भी व्यक्ति की तैनाती कोविड समर्पित चिकित्सालयों में नहीं की जायेगी।** उक्त प्रशिक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा अन्य किसी वरिष्ठ चिकित्साधिकारी की देखरेख में सम्पन्न होगा।

(3) मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कोविड समर्पित एल1 चिकित्सा इकाई में तैनात किए जाने वाले प्रत्येक दल के सदस्यों के प्रशिक्षण से संबंधित सूचनओं को अद्यतन करते हुए सुरक्षित रखा जायेगा।

Scanned with CamScanner

(4) उक्त दलों के चिन्हित सभी 50 स्टाफ सदस्यों का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने पर, मास्टर ट्रेनरों द्वारा जनपद में चिकित्सा विभाग के अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जनपद स्तर पर चिकित्सा विभाग के समस्त कार्मिकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु एक जनपदीय विभागीय अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

(5) एडवांस लाइफ सपोर्ट (ALS) एवं 108 एम्बुलेंस के स्टॉफ को भी उक्त प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। अतः एम्बुलेंसों के इन कार्मिकों को भी बैच बनाकर प्रशिक्षित कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) मास्टर ट्रेनर को निदेशित किया जाता है कि वे सभी चिकित्सा इकाईयों एवं वहां पर आयोजित प्रशिक्षण में उनके द्वारा प्रशिक्षित चिकित्सकों/नर्सों की रिपोर्ट निम्नलिखित प्रारूप में ईमेल आई0डी0–covidhospitals@gmail.comपर दैनिक रूप से प्रेषित करें :–

जनपद	इएचआरएमएस आइ.डी	नाम	चिकित्सक/नर्स	प्रशिक्षण की तिथि
1	2	3	4	5

8. **प्रशिक्षण की विधि :**

अनुलग्नक–7 में इंगित मास्टर ट्रेनरों द्वारा निम्नवत् योजना/विधि का प्रयोग करते हुए कोविड महामारी के दौरान पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल पर जनपद के चिकित्सकों एवं नर्सों को प्रशिक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित किया जायेगा :–

(1) मास्टर ट्रेनरद्वारा**अनुलग्नक–3** के अनुसार कोविड समर्पित एल1 चिकित्सा इकाई में तैनाती हेतु चिन्हित स्टाफ को वहां पर भ्रमण करके प्रशिक्षण एवं तत्संबंधी सामग्री प्रदान करेगा।

(2) साथ ही, सार्वजनिक स्वास्थ्य में कार्यरत सभी नियमित एवं संविदात्मक चिकित्सकों एवं नर्सों को ऑनलाइन प्रशिक्षण माड्यूल का **"लिंक"** भेजा गया है। मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा सभी चिकित्सकों एवं नर्सों को अपनी–अपनी डिवाइसेज़ पर इस प्रशिक्षण माड्यूल को देखने के लिए निर्देशित किया जाय।

(3) संबंधित चिकित्सकों एवं नर्सों द्वारा अपने–अपने इएचआरएमएस आई.डी./मानव सम्पदा आई.डी. को लॉगइन आई.डी. के रूप में एवं पासवर्ड के रूप में 12345 का प्रयोग करके लॉगइन किया जा सकता है। 4000 से अधिक चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों द्वारा अब तक प्रशिक्षण माड्यूल का पोर्टल पर अवलोकन किया जा चुका है।

9. **मास्टर ट्रेनर द्वाराप्रशिक्षण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां :**

(1) सी0एच0सी0 पर हाथ धोने हेतु स्थान या सैनिटाइज़र की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(2) प्रशिक्षण का आयोजन अच्छी तरह से हवादार कक्ष अथवा खुले स्थान में सुनिश्चितकरना।

(3) प्रशिक्षण के दौरान एक–दूसरे के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी बनायेरखना।

(4) प्रशिक्षण के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के संभावित प्रसार के नियंत्रण हेतु यथावश्यकअन्य सावधानियों का पालन करना आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

10. केन्द्र पर कोविड–स्तर–1 के रोगी का प्रवाह

प्रत्येक जिले में कोरोना वायरस के संक्रमित संदिग्ध मामलों के लिए संगरोध सुविधाओं (Quarantine facility for suspected patients)को चिन्हित कर लिया गया है। यदि किसी भी जिले ने अभी तक कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों के लिए संगरोध सुविधाओं को चिन्हित नहीं किया गया हो तो, जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा तत्काल इसको चिन्हित कर लिया जाए।

चिन्हित संगरोध सुविधाओं में कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों को लाया जायेगा एवं परीक्षण हेतु उनके नमूना (Sample) लेकर परीक्षण हेतु उपयुक्त प्रयोगशाला में भेजा जाए।

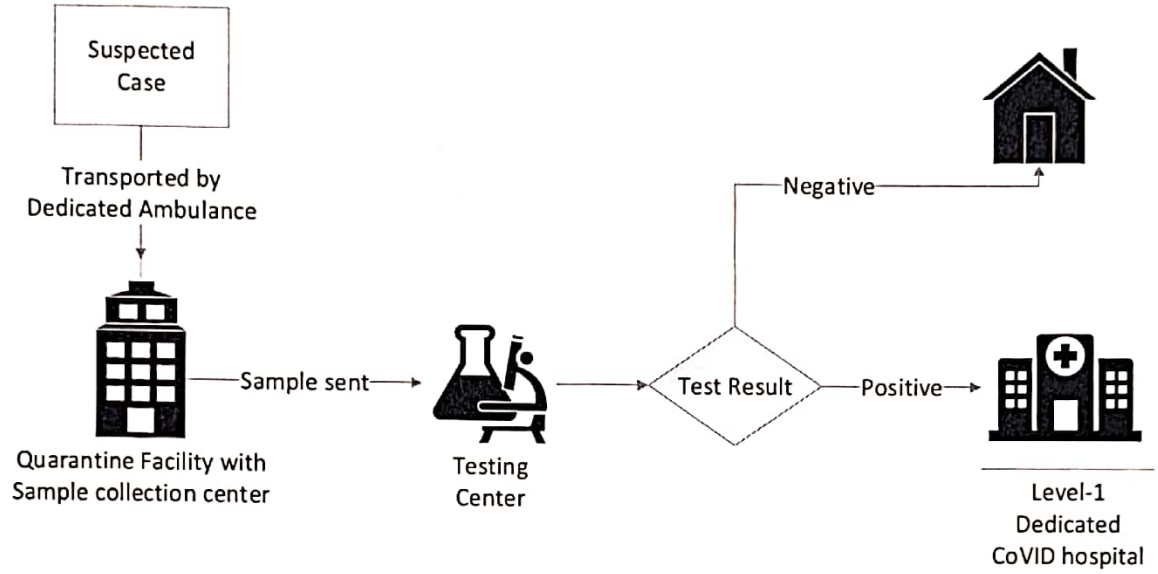

कोविड–19 से संक्रमित मरीजों के सैम्पल कलेक्शन हेतु निम्न बिन्दुओं का अनुपालन किया जाए :–

1. प्रत्येक जनपद में 02 सैम्पल कलेक्शन सेन्टर अनिवार्य रूप से निम्न स्थानों पर स्थापित किया जाये :–
   - क्वारेन्टाईन फैसिलिटी – (क्वारेन्टाइन फैसिलिटी में रखे जाने वाले/रखे गये रोगियों हेतु)
   - जनपदीय जिला/जिला संयुक्त चिकित्सालय (अन्य व्यक्तियों हेतु)
2. उपरोक्त दोनों केन्द्रों पर दो शिफ्टों में प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक सैम्पल कलेक्शन का कार्य सम्पादित किया जायेगा।
3. प्रत्येक सैम्पल कलेक्शन केन्द्र पर प्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिक (Lab Technician) एवं सहायक कर्मी की तैनाती दो शिफ्टों में की जायेगी।
4. प्रत्येक सैम्पल कलेक्शन केन्द्र पर सुरक्षा के समस्त उपकरण यथा–एन0–95 मास्क, ग्लब्स, पी0पी0ई0 किट, हाथ धोने की व्यवस्था तथा कीटाणुशोधन हेतु हाइपोक्लोराईड/ब्लीचिंग पाउडर की उपलब्धता तथा वेस्ट डिस्पोजल हेतु कलर्ड बिन एवं बैग्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
5. प्रत्येक सैम्पल कलेक्शन केन्द्र पर इन्फेक्शन प्रिवेन्शन प्रोटोकॉल का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

Scanned with CamScanner

6. एकत्रित किये गये सैम्पल को ट्रिपल लेयर पैकेजिंग में पैक कर कोल्ड चेन सुनिश्चित करते हुए संबंधित प्रयोगशाला में जॉच हेतु प्रेषित किया जाए।

जब तक कोरोना वायरस के इन संदिग्ध मामलों के परीक्षण के परिणाम नहीं आते हैं, तब तक इन संदिग्ध व्यक्तियों को इन संगरोध सुविधाओं में रहना आवश्यक है। यदि संदिग्ध मामलों के परीक्षण के परिणाम सकारात्मक हैं, तो इन मामलों को एल–1 सुविधाओं के लिए समर्पित एम्बुलेंस के माध्यम से इन्हें भर्ती किया जायेगा।

सकारात्मक मामलों के संपर्कों को संगरोध करने के लिए इन संगरोध सुविधाओं के भीतर पृथक से संगरोध सुविधा या इसका पृथक्करण होना बेहतर है। यदि यह ऋणात्मक आता है तो घर भेजते समय उसे निर्देशित किया जाय कि 14 दिन तक उसे गृह संगरोध (Home Quarantine) में ही रहना है।

11. जिला अस्पताल स्तर पर आइसोलेषन वार्ड

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला अस्पतालों में बनाये गए आइसोलेशन वार्डों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिला अस्पतालों में इन आइसोलेशन वार्डों में मरीजों के उपचार करने के लिए मानव संसाधन टीम के 2 सेट (टीम–1 व टीम–2) होंगे। टीम–1 द्वारा 15 दिनों तक आइसोलेशन वार्ड में मरीजों का उपचार किया जायेगा, और फिर 15 दिनों तक संगरोध सुविधा पर रखा जायेगा, इसी प्रकार टीम–2 द्वारा भी कार्य किया जायेगा।

जिला अस्पतालों में स्थापित आइसोलेषन वार्ड में मानव संसाधन की संरचना

चिकित्सक / पैरामेडिकल स्टॉफ	संख्या
डॉक्टर	3
नर्स	3
फार्मासिस्ट	2
वार्ड ब्वाय	3
स्वीपर	3
कुल (टीम–1 हेतु)	**14**

उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एक्स–रे टेक्नीशियन एवं लैब टेक्नीशियन उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

अन्य सभी प्रोटोकॉल, व्यवस्था एवं रिपोर्टिंग प्रारूप जो एल–1 सुविधाओं के लिए (अनुलग्नक–2 से 7) निर्धारित किये गये हैं, उन्हें ही जिला अस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त निर्धारित किये गये प्रपत्र पर रिपोर्ट ईमेल द्वारा covidhospitals@gmail.com पर भेजी जायेगी।

Scanned with CamScanner

राज्य स्तर से लेविल–2 सुविधाओं के लिए दिशा–निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

उक्त तथ्यों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में व्याप्त कोरोना वायरस के प्रकोप एवं उसके रोकथाम एवं उपचार के संबंध में उक्त निर्देशों का अपने–अपने स्तर पर शत्प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

27.3.2020

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /पांच–8–2019–म(22)/2018टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
5. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( )
सचिव।

Scanned with CamScanner